फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

अक्की वगैरह बनाम जुल्फकार वगैरह

किस्म मुकदमाः– 53,183,209 आरटीए प्रकरण संख्याः– 181/2021 (GCMS 2021/131)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र धारा 10 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता हेतु प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान वाद संख्या 181/2021 प्रस्तुति दिनांक 02.09.2021 अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पूर्वज हैदर के नाम से जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पिता/दादा/पड़दादा के नाम कस्टोडियन आवंटी की हैसियत से चक 9 एस.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता सं. 10 के प.न. 102/387 के कि.न. 1/1 में 0.228 है. व कि.न. 2, 3 में 0.506 है. अ.क. कि.न. 10/2 में 0.228 है. अ.क. कि.न. 12, 13 में 0.506 है. अ.क., कि.न. 18, 19 में 0.506 है. क. कुल 2.480 है. जो हैदर की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो गया इस भूमि की खातेदारी सनद् उपखण्ड अधिकारी द्वारा हैदर के नाम से दिनांक 04.12.2015 को जारी हुई और रकबा हैदर के फौत हो जाने के पश्चात हैदर के वारिस गाहरू, अकबर, सतार, इस्माईल, जैबां को बतौर वारिस प्राप्त हुआ, वादीगण ने हिस्सानुसार भूमि का खातेदार पक्षकारान को घोषित करने हेतु व उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 जुल्फकार का नाजायज कब्जा बताकर उसको बेदखल कर कब्जा घोषणानुसार वादीगण को दिलाये जाने का वाद प्रस्तुत किया है। इस वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. का प्रस्तुत है। वाद पत्र के जवाब दावा में प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा कथन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 9 एस.डी. का खाता संख्या 10 का प.न. 102/387 की 10.00 बीघा अर्थात 2.480 हैक्टर भूमि वादीगण के पूर्वज गाहरू खां, अकबर, सतार खां के नाम से दर्ज कागजात थी उनके द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा जीवन पुत्र श्री खेताराम व गोपीराम पुत्र श्री जीवन राम को विक्रय कर दिया और जीवन पुत्र श्री खेताराम व गोपीराम पुत्र श्री जीवन राम द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 05.06.1989 को प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फलकशेर को हस्तांतरित करने का इकरार किया व मौका पर कब्जा दे दिया। फलकशेर की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 01 जुल्फकार बतौर वारिस काबिज है इसलिये वाद वादीगण निरस्त करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा के पश्चात् एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया की इसी भूमि की बाबत पक्षकारो के मध्य एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी की घोषणा हेतु वर्तमान अदालत में जैरकार है जिसमें पक्षकारान समान है, विवादित भूमि भी समान है इसी विषयवस्तु का वाद विशिष्ट पालना Specific Performance का माननीय सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ के समक्ष विचाराधीन है जिसमें स्थगन भी इस अमर का जारी हुआ है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को रहन रखने, भार सृजित करने, बैय करने अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने व प्रार्थीगण को रकबा से बेदखल करने से आगामी आदेश तक पाबंद किया जाता है के आदेश भी न्यायालय द्वारा दिये जा चुके है। समान विषयवस्तु होने से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया वाद दिनांक 01.07.2021 को प्रस्तुत किया गया पूर्ववर्ती वाद है व वर्तमान वाद दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया गया है इसलिए वह पश्चातवर्ती वाद है, समान विषयवस्तु का वाद व्यवहार न्यायालय में भी जेरकार होने के कारण इसलिए पश्चातवर्ती वाद को लम्बित किया जाकर पूर्ववर्ती वाद जुल्फकार बनाम गाहरू खां वगै. में सुनवाई की जावें व पश्चातवर्ती वाद अक्की वगै. बनाम जुल्फकार वगै. वाद सं. 181/2021 एवं धारा 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र सं. 183/2021 अक्की वगै. बनाम जुल्फकार वगै. पूर्ववर्ती वाद एवं व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जाने की प्रार्थना की ताकि एक ही विषय पर भिन्न भिन्न निर्णय होने की सम्भावना से बचा जा सके। इस प्रार्थना पत्र का जवाब वादी अप्रार्थी द्वारा दिया गया और उसमें बताया कि पक्षकारान दोनों वाद पत्र में समान नहीं है, अनुतोष समान नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादी) निरस्त करने की प्रार्थना की गई। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:05 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश पेज 2 पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024		

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा (प्रतिवादी) ने निवेदन किया कि वर्तमान वाद एवं पूर्ववर्ती वाद के पक्षकारान समान है, विषयवस्तु समान है, दो वाद होने से अलग अलग निर्णय होने की सम्भावना है इसी विषयवस्तु के सम्बंध में विशिष्ट अनुपालना का वाद व्यवहार न्यायालय में जैरकार है, समान विषयवस्तु में पक्षकारान के विवादित बिन्दु का अलग अलग विचारण होने से निर्णय भी अलग अलग होने की सम्भावना बनती है जिससे बचाव के लिए ही धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किये गये है इस मामले में इस न्यायालय के द्वारा भी स्थगन आदेश जारी हुआ है व माननीय व्यवहार न्यायालय से भी स्थगन आदेश जारी हुआ है जिसका वर्णन जवाब प्रार्थन पत्र में किया गया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि भूमि हैदर की थी, उसके नाम से खातेदारी जारी हुई, हैदर की मृत्यु उपरान्त यह भूमि उसके वारिसान को आई है। कोई विकय नहीं हुआ भूमि ठेके पर दी गई थी वाद धारा 183 का है, सिविल कोर्ट में वाद चल रहा है या नहीं कोई नकल प्रस्तुत नहीं की गई। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद नाकाबिल चलने के है सिविल कोर्ट के दावे की प्रति संलग्न नहीं है दोनों दावे संयोजन के योग्य नहीं है, पक्षकार व अनुतोष अलग–अलग है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी) निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में पठन व मनन किया गया एवं यह पाया कि विवादित भूमि चक 9 एस. डी. का प.न. 102/387 की 2.480 है. अर्थात 10.00 बीघा के सम्बंध में है इसी विषयवस्तु का वाद पूर्व में इसी न्यायालय में जुल्फकार वगै. बनाम गाहरू खां वगै. का विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश जारी है व माननीय व्यवहार न्यायालय में भी विचाराधीन है इसमें भी विचारण विषयवस्तु समान है व हित पक्षकार भी समान है, भिन्न भिन्न निर्णय होने की प्रबल सम्भावना है साथ ही मेरा मानना है कि विषय वस्तु के सम्बंध में व्यवहार न्यायालय तकनीकी रूप से अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय करने में सक्षम है, न्यायहित में भी माननीय व्यवहार न्यायालय का निर्णय कानूनी अवधारणानुसार वरीयता रखता है। पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद के निर्णय के पश्चात उसी के अनुसरण में वर्तमान वाद का निस्तारण किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार उचित प्रतीत होता है। व्यवहार न्यायालय का स्थगन आदेश व जुल्फकार वगै. बनाम गाहरू खां वगै. में जारी स्थगन आदेश पत्रावली में उपलब्ध है, यह न्यायालय यह उचित समझता है कि व्यवहार न्यायालय व इस न्यायालय में प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद का निर्णय बाद सुनवाई किया जाना उचित है तब तक वर्तमान वाद सं. 181/2021 अक्की वगै. बनाम जुल्फकार वगै. व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.ए. सं. 133/2021 इसी विषयवस्तु के सम्बंध में प्रस्तुत एवं विचारण में लम्बित वाद जुल्फकार वगै. बनाम गाहरू खाू वगै. सं. 121/2021 व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. सं. 85/2021 के निर्णय एवं व्यवहार न्यायालय का प्रकरण सं. 50/2021 जुल्फकार बनाम गोपीराम वगै. के निर्णय तक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए लम्बित रखना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी) दिनांक 05.01.2023/10.01.2023 अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए वाद सं. 181/2021 अक्की वगै. बनाम जुल्फकार वगै. व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. सं. 133/2021 पूर्ववर्ती वाद सं. 121/2021 जुल्फकार वगै. बनाम गाहरू खां वगै. व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. सं. 85/2021 के निर्णय एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार दोनों पत्रावलियों का निर्णय कर निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे, [illegible] एवं व्यवहार न्यायालय के निर्णय के पश्चात पक्षकारान इन वादों के निर्णय के लिए अलग से अनुतोष हेतु कार्यवाही करने को स्वतंत्र है, तब तक निर्णय अनुसार पत्रावलियाँ लम्बित मानकर दाखिल दफतर किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 17:58:05 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़